छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था /2017 रायपुर,दिनांक / /2017

// कार्यालय-आदेश //

आदेशानुसार, कार्यालय आदेश क्रमांक 2278/वि.स./स्था./2016 दिनांक 20.07.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए अवर सचिव स्तर तक के समस्त अधिकारी एवं समस्त कर्मचारी शासकीय अथवा निजी कार्य से कार्यालयीन समय में कार्यालय परिसर से बाहर जाने एवं वापस आने के समय अनुमति पत्र गेट क्रमांक 02 में सुरक्षा कर्मी के पास जमा करेंगे तथा गेट क्रमांक 02 में स्थापित बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम में उपस्थिति दर्ज करेंगे ।

साथ ही भोजन अवकाश में भी कार्यालय से बाहर जाने व वापस आने पर सर्वसंबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि गेट क्रमांक 02 में स्थापित बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस सिस्टम में अनिवार्यत: उपस्थिति दर्ज करेंगे ।

गेट क्रमांक 02 पर ड्यूटीरत सुरक्षा कर्मी यह अनिवार्यत: सुनिश्चित करेंगे कि अटेंडेंस सिस्टम में बिना इम्प्रेशन लगाये सबंधित कोई भी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय परिसर से बिना इम्प्रेशन लगाये बाहर जाते हैं तो उसकी प्रविष्टि पंजी में करेंगे, व उसी दिन सांयकाल स्थापना शाखा को सीधे लिखित सूचना देंगे।

आदेश से

हस्ता/-

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमां क 88 /वि.स./स्था /2017 रायपुर, दिनांक 19/1/2017

प्रतिलिपिः-

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के निज सहायक को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
03. सर्वसंबंधित अधिकारी / कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
04. सर्वर कक्ष ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा